रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2008/श्रावण 14, 1930

No. 431] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2008/SRAVANA 14, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 578(अ).—दिनांक 3 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), में प्रकाशित पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 49(अ) में, पृष्ठ 3 में विनियम 2 पर :—

(i) पंक्ति 1 में 'कलकत्ता पत्तन न्यास (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1988 अब से कोलकाता पत्तन न्यास (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) विनियम 1988 के नाम से जाना जाएगा' पढ़ा जाने वाला "प्रधान विनियम का विनियम 1(i) को 'इन विनियमों का नाम कोलकाता पत्तन न्यास (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1988 होगा।' से प्रतिस्थापित किया जाएगा";

और विनियम 3 में—

(i) 11वीं पंक्ति में 'उपाध्यक्ष' हेतु 'उपाध्यक्षगण' पढ़ा जाए।

(ii) 11वीं पंक्ति में 'उपाध्यक्षगण (कोलकता)' हेतु 'उपाध्यक्ष (कोलकाता)' पढ़ा जाए।

(iii) 13 पंक्ति में '3 (ज)' के स्थान पर '3(झ)' पढ़ा जाए।

(iv) 16वीं व 17वीं पंक्ति हटाई गई मानी जाए।

(v) 25वीं पंक्ति में, 'कोई उपाध्यक्ष' को 'कोई उपाध्यक्षगण' पढ़ा जाए।

(vi) 27वीं पंक्ति में 'कोई उपाध्यक्ष' को 'कोई उपाध्यक्षगण' पढ़ा जाए।

(vii) 29वीं पंक्ति में 'कोई उपाध्यक्ष' को 'कोई उपाध्यक्षगण' पढ़ा जाए।

(viii) 31वीं पंक्ति में 'कोई उपाध्यक्ष' को 'कोई उपाध्यक्षगण' पढ़ा जाए।

(ix) 32वीं पंक्ति में 'कोई उपाध्यक्ष' को 'कोई उपाध्यक्षगण' पढ़ा जाए।

[फा. सं. पी आर-12016/22/2005-पी ई-I]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th August, 2008

G.S.R. 578(E).—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number G.S.R. 49(E), dated 3rd February, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 3rd February, 2006, at page 3 in Regulation 2 :—

(i) In line 1, for "The Calcutta Port Trust (Non-Contributory Provident Fund) Regulations, 1988 will henceforth be known as Kolkata Port Trust (Non-Contributory Provident Fund) Regulations, 1988", read "Regulation 1(i) of the Principal Regulation shall be replaced by 'These Regulations may be called the Kolkata Port Trust (Non-Contributory Provident Fund) Regulations, 1988'".

and in Regulation 3—

(i) In line 11, for "Deputy Chairman", read "Deputy Chairmen";

(ii) In line 11, for "Deputy Chairmen (Kolkata)" read "Deputy Chairman (Kolkata)";

(iii) In line 13, for "3(h)" read "3(l)";

(iv) Line numbers 16 & 17 stand deleted;

(v) In line 25, for "any of the Deputy Chairman" read "any of the Deputy Chairmen";

(vi) In line 27, for "any of the Deputy Chairman" read "any of the Deputy Chairmen";

(vii) In line 29, for "any of the Deputy Chairman" read "any of the Deputy Chairmen";

(viii) In line 31, for "any of the Deputy Chairman" read "any of the Deputy Chairmen";

(ix) In line 32, for "any of the Deputy Chairman" read "any of the Deputy Chairmen";

[F. No. PR-12016/22/2005-PE-I]

REKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.

2959 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.